

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**नवम्बर, 2009 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 28, 1931)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (1) क्रमांक 1776-म.प्र.वि.नि.2009, दिनांक 20 अगस्त, 2009,
- (2) क्रमांक 1783-म.प्र.वि.नि./ 2009, दिनांक 21 अगस्त, 2009,
- (3) क्रमांक 1053-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 26 मई, 2009 शुद्धि पत्र,
- (4) क्रमांक 1853-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 29 अगस्त, 2009,
- (5) क्रमांक 1902-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 2 सितम्बर, 2009,
- (6) क्रमांक 2036-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 18 सितम्बर, 2009,
- (7) क्रमांक 2098-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 25 सितम्बर, 2009; तथा
- (8) क्रमांक 2099-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 25 सितम्बर, 2009 शुद्धि पत्र; एवं

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2008-2009, पटल पर रखेंगे.

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री शिवनारायण मीना, सदस्य, राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत किये जा रहे कार्यों में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रत्नेश सॉलोमन, ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, प्रदेश के अनेक शिक्षकों की पदस्थापना प्रतिनियुक्ति पर होने से शिक्षण कार्य प्रभावित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले में राजघाट नहर के टूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले में सूखे से प्रभावित कृषकों की क्षति का उचित सर्वे न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शिवनारायण जागीरदार, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले के -
- (क) ग्राम वर्डिया की शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने,
  - (ख) नगर के वार्ड नं. 4 मालवा नगर में सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण किये जाने,
  - (ग) नगर के वार्ड नं. 2 मालवा नगर में सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण किये जाने,
  - (घ) जावरा शहर के वार्ड नं. 17 पिंजारवाडी में सीमेंट कांक्रीट की नाली व सड़क निर्माण किये जाने,
  - (ङ) जावरा शहर के वार्ड नं. 30 तिलक नगर की रोड एवं नालियां सीमेंट कांक्रीट से निर्माण किये जाने,
  - (च) नगर की अलकापुरी कालोनी की सीवर लाइन बदले जाने,
  - (छ) नगर की रत्नपुरी कालोनी का मार्ग पुनर्निर्माण किये जाने, तथा
  - (ज) नगर की अलकापुरी कालोनी में दो लाख गैलन पानी की टंकी व सम्पवेल लगाये जाने,
- (2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
- (क) तहसील नरवर के ग्राम सीहोर में स स्टेण्ड से महीप सिंह के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
  - (ख) ग्राम सीहोर में प्राथमिक कन्या विद्यालय खोले जाने,
  - (ग) ग्राम क्रांकर में काली माता के मंदिर के पास नहर में पुलिया निर्माण किये जाने, तथा
  - (घ) ग्राम-उकाबला के नाहरपुरा में पुलिया पर रपटा निर्माण किये जाने,
- (3) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य, पन्ना जिले के -
- (क) नगर में एक कृषि महाविद्यालय खोले जाने, तथा
  - (ख) नगर की जिला चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सकों के पदों की शीघ्र पदपूर्ति किये जाने,
- (4) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य, सतना जिले के -
- (क) अमरपाटन तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ई.एन.टी. के डॉक्टर का पद स्वीकृत तथा हड्डी रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना किये जाने,
  - (ख) अमरपाटन तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शल्य चिकित्सक (सर्जन) की पदस्थापना किये जाने,
  - (ग) अमरपाटन तहसील के न्यायालय परिसर में/अस्पताल परिसर तथा सतना रोड चौराहे पर सुलभ काम्प्लेक्स निर्माण किये जाने,
  - (घ) अमरपाटन तहसील के ग्राम पठरा से ग्राम सेंदुरा तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,
  - (ङ) अमरपाटन तहसील के उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता की पदस्थापना किये जाने, तथा
  - (च) रामनगर तहसील की पेयजल समस्या निदान किये जाने,
- (5) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के -
- (क) तहसील हटा के ग्राम-गाता की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने, तथा
  - (ख) तहसील-हटा के ग्राम-रनेह में जल प्रदाय योजना अंतर्गत फिल्टर प्लांट भवन निर्माण किये जाने,
- (6) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के -
- (क) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम-डिहिया पडान की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
  - (ख) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम जोरौट की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
  - (ग) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम पूरवा की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
  - (घ) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम शिवराजपुर की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
  - (ङ) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम माडौ की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
  - (च) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम जुडमनिया रघुनाथ की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
  - (छ) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम फूल की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
  - (ज) गंगेव विकासखण्ड के ग्राम दादर की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

- (झ) गंगेव विकासखण्ड के ग्राम बेलवा की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ज) मऊगंज विकासखण्ड के ग्राम अमोखर की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
- (ट) मऊगंज विकासखण्ड के ग्राम पत्री की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (7) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा तहसील को विकासखण्ड का दर्जा दिलाये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

## 6. वक्तव्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, दिनांक 22 फरवरी, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1353) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित  
समय

## 7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 19 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 22 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 24 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 25 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

30 मि.

(5) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 20 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(6) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 21 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

## 8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घण्टा  
30 मि.

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री भगवान सिंह, सुखदेव पांसे, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, शिवनारायण मीना तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :  
दिनांक : 18 नवम्बर, 2009

डॉ. ए.के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.